2024/684

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी:– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– अयुब खां पुत्र आलमशेर खां जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act. संख्या...15/2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19.11.2024	प्रार्थी राज्य सरकार जरिए तहसीलदार डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अयुव खां पुत्र आलमशेर खां जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी आदेश तक सरहद अमरपुरा पटवार हल्का दादूबासनी के खसरा नम्बर 747/197 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी प्रकार का बैचाण नही करेगें व उपपंजीयक डीडवाना पंजीयन की कार्यवाही नही करेगें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनॉक 24.12.2024 को पेश हो। Vikas	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 8/1/25 को पेश हो। [signature]	
8/1/2025	पत्रावली पेश हुई। राज. पैरोकार हाजिर। अप्रार्थीगण की तरफ [illegible] कुमार गोड़ ने वकालतनामा व जवाब तथा सूची के अनुसार दस्तावेजात पेश किए जो शामिल पत्रावली रहे। xx Contd —	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.02.17 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested

xxxxx

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया व रेकर्ड का अवलोकन किया।

राज. एडवोकेट का कथन है कि अप्रार्थीगण ने खातेदारी की कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है इसलिए खातेदारी समाप्त कर निष्पादक दर्ज फरमायी जावे।

अप्रार्थीगण का जवाब है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 747/197 सरहद पठानो का बास अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा नगर परिषद डीडवाना के पेराफेरी क्षेत्र में आती है। नगर परिषद में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करके कार्यवाही की गई है। 90-ए की कार्यवाही के तहत रसीद संख्या 87 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा राशि जमा करवाई गई है। सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनी रूप से की गई है अतः यह कार्यवाही खारिज फरमावें।

उपलब्ध अभिलेख के अनुसार ग्राम [illegible]पुरा तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 747/197 रकबा 1.8550 हैक्टेयर के अकृषि उपयोग करने पर खातेदारी अधिकार समाप्त कर निष्पादक दर्ज करने की प्रार्थना तहसीलदार डीडवाना प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है।

खातेदारान / अप्रार्थीगण ने उक्त प्रश्नगत भूमि के भूमि रूपान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी नगर परिषद डीडवाना के समक्ष आवेदन पेश किया है तथा शुल्क ₹ 10 8010/- जरिए रसीद संख्या 87 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा जमा कराए गए हैं। उक्त कार्यवाही प्रस्तुत दस्तावेजात से पुष्ट होता है। भूमि रूपान्तरण की कानूनी कार्यवाही खातेदारान के द्वारा की जा रही है। भूमि रूपान्तरण कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जेरकार है इसलिए वर्तमान स्टेज पर प्रकरण की कार्यवाही को लम्बित रखा जाना तथा स्थगन आदेश के यथावत रखने का कोई आधार नहीं है। उचित/ कानून सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] जाता है तथा पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश [illegible] 2024 द्वारा निरस्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.02.17 11:37:08 IST
Reason: SelfAttested